सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला-अजमेर
राजस्व वाद संख्या 19/2017
राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – मालपुरा

1– श्रीमति संतोष वयस्क बेवा स्व0 श्री ईश्वर
2– श्री दिनेश उर्फ मनीष वयस्क पुत्र स्व0 श्री ईश्वर
3– श्री अनिल वयस्क पुत्र स्व0 श्री ईश्वर
4– श्री विमल वयस्क पुत्र स्व0 श्री ईश्वर
5– श्री जितेन्द्र उर्फ सेठी अवयस्क पुत्र स्व0 श्री ईश्वर नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता वादीया नंबर 1 श्रीमति संतोष
6– पूजा वयस्क पुत्री स्व0 ईश्वर
समस्त जाति बैरवा निवासी बैरवानगर मालपुरा विजयनगर रोड, ब्यावर जिला-अजमेर राज0

––––– वादीगण

ब ना म

1– श्री बंशीसिंह पुत्र स्व0 श्री ग्यारसीलाल उम्र 60 साल बैरवा
2– श्री मनोहरलाल पुत्र स्व0 श्री ग्यारसीलाल उम्र 53 साल बैरवा
3– श्री छोटूलाल पुत्र श्री ग्यारसीलाल उम्र 54 साल बैरवा
4– श्रीमति मूली वयस्क पुत्री ग्यारसीलाल बैरवा
5– श्रीमति मुन्नी वयस्क पुत्री स्व0 ग्यारसीलाल बैरवा
6– श्रीमति गुडी वयस्क पुत्री स्व0 ग्यारसीलाल बैरवा
7– श्रीमति सम्पत्ति वयस्क पुत्री स्व0 ग्यारसीलाल बैरवा
8– श्रीमति कमला वयस्क पुत्री स्व0 ग्यारसीलाल बैरवा
9– श्रीमति तुलसा वयस्क पुत्री स्व0 ग्यारसीलाल बैरवा
10– श्री चौथमल वयस्क पुत्र स्व0 श्री नारायण बैरवा
11– श्री तुलसीराम वयस्क पुत्र स्व0 श्री नारायण बैरवा
12– श्री गणेशदास वयस्क पुत्र स्व0 श्री नारायण बैरवा
13– श्री नौरतमल वयस्क पुत्र स्व0 श्री नारायण बैरवा
14– श्रीमति गीता वयस्क पुत्री स्व0 श्री नारायण बैरवा
15– श्रीमति गंगा वयस्क पुत्री स्व0 श्री नारायण बैरवा
16– श्री प्रभू वयस्क पुत्र स्व0 श्री विष्णु बैरवा
17– श्री पप्पू वयस्क पुत्र स्व0 श्री विष्णु बैरवा
18– श्रीमति लाली वयस्क बेवा स्व0 श्री विष्णु बैरवा
19– श्री सुखदेव वयस्क पुत्र स्व0 श्री काना उर्फ कन्हैयालाल बैरवा
20– श्री रूपचन्द वयस्क पुत्र श्री खीमा बैरवा
21– श्रीमति हीरा वयस्क पुत्री स्व0 खीमा बैरवा
22– श्रीमति नौरती वयस्क बेवा स्व0 रामरतन बैरवा
23– श्री प्रमोद वयस्क पुत्र स्व0 रामरतन जी बैरवा
24– श्री हरीश वयस्क पुत्र स्व0 रामरतन जी बैरवा
25– जसोदा अवयस्क पुत्री स्व0 रामरतन जी बैरवा
26– आशिया अवयस्क पुत्री स्व0 रामरतन जी बैरवा
26– नीरू अवयस्क पुत्री स्व0 रामरतन जी बैरवा
27– तुलसी अवयस्क पुत्री स्व0 रामरतन जी बैरवा
28– बबली अवयस्क पुत्री स्व0 रामरतन जी बैरवा
29– अंजू अवयस्क पुत्री स्व0 रामरतन जी बैरवा
30– कविता अवयस्क पुत्री स्व0 स्व0 रामरतन जी बैरवा
प्रतिवादी संख्या 27 से 33 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता प्रतिवादीया नंबर 24 श्रीमति नौरती बैरवा

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

.................लगातार

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

31– श्रीमति नर्बदा वयस्क बैवा स्व0 श्री बाबू बैरवा
32– श्री मुकेश वयस्क पुत्र स्व0 बाबू बैरवा
33– श्री भगवानदास वयस्क पुत्र स्व0 श्री बाबू बैरवा
34– सुमीत्रा वयस्क पुत्री स्व0 श्री बाबू बैरवा
35– हेमा वयस्क पुत्री स्व0 श्री बाबू बैरवा
36– लाछा वयस्क पुत्री स्व0 श्री बाबू बैरवा
37– गायत्री वयस्क पुत्री स्व0 श्री बाबू बैरवा
38– श्री जसवंत वयस्क पुत्र स्व0 श्री भैरू बैरवा
39– श्री यशवंत वयस्क पुत्र स्व0 श्री भैरू बैरवा
40– मालती वयस्क पुत्री स्व0 भैरू बैरवा
41– प्रियंका नाबालिग पुत्री स्व0 श्री भैरू जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमति तुलसीदेवी बैरवा
42– श्रीमति तुलसीदेवी वयस्क बैवा स्व0 श्री भैरू जी बैरवा
43– श्री रोडसिंह वयस्क पुत्र स्व0 श्री जेतसिंह मेहरात
44– सीता वयस्क पुत्री स्व0 श्री जेतसिंह मेहरात
45– जमना वयस्क पुत्री स्व0 श्री जेतसिंह मेहरात
46– प्रेम वयस्क पुत्री स्व0 जेतसिंह जाति मेहरात
47– श्रीमति चम्पा वयस्क बैवा स्व0 श्री जेतसिंह मेहरात
48– श्री भंवरू वयस्क पुत्र स्व0 श्री मोती मेहरात
49– श्री बाबू वयस्क पुत्र स्व0 श्री मोती मेहरात
50– अमरूद वयस्क पुत्री स्व0 श्री मोती मेहरात
51– धापू वयस्क पुत्री स्व0 मोती मेहरात
52– फेफी वयस्क पुत्री स्व0 मोती मेहरात
53– श्री भंवरू वयस्क पुत्री स्व0 मकना मेहरात
54– श्री गिरधारी वयस्क पुत्र स्व0 मकना मेहरात
55– श्रीमति लाडी वयस्क बैवा स्व0 मकना मेहरात
56– बदामी वयस्क पुत्री स्व0 मकना मेहरात
57– रूकमा वयस्क पुत्री स्व0 मकना मेहरात
58– श्री कालू वयस्क पुत्री स्व0 रसूल मेहरात
59– श्री रवि वयस्क पुत्र श्री रसूल मेहरात
60– श्री घीसा वयस्क पुत्र श्री कला मेहरात
समस्त निवासी बैरवानगर मालपुरा बिजयनगर रोड, ब्यावर जिला–अजमेर राज0
61– श्री प्रकाशचन्द रांका वयस्क पुत्र सोहनलाल रांका जाति जैन निवासी विनोदनगर, ब्यावर जिला–अजमेर राज0
62– राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, ब्यावर
63– श्रीमान् उपपंजीयक महोदय तहसील कार्यालय, ब्यावर
64– राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय, अजमेर

———प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

निर्णय

दिनांकः– 07.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट–मालपुरा में पेश हुई। वादीगण ने सारांशतः अपने वाद पत्र में कथन किया है, कि मौजा मालपुरा पटवारी हल्का

................लगातार

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

मालपुरा तहसील ब्यावर जिला–अजमेर में खसरा नंबर 87 रकबा 00–06–00 किस्म बा.3, 88 रकबा 03–11–00 किस्म बा.3, खसरा नंबर 89/1 रकबा 03–07–10 किस्म बा.3, खसरा नंबर 90/1 रकबा 00–16–00 किस्म बा.3, खसरा नंबर 92/1 रकबा 00–14–00 किस्म बा.3, खसरा नंबर 94 रकबा 00–10–10 किस्म बा.3, खसरा नंबर 122 रकबा 00–03–00 मकान स्थित है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 19 की पुश्तैनी आराजीयात चली आ रही है, जिसके खातेदार काश्तकार वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 19 के पूर्वज श्री मंगला जी चले आ रहे है, श्री मंगला जी का उपरोक्त आराजियात में राजस्व अभिलेखो में वर्णितानुसार हक हिस्सा विद्यमान चला आ रहा है, जिसका सिजरा वाद पत्र की चरण संख्या 2 में अंकित है। मंगला व उसकी पत्नि के स्वर्गवास के बाद उनके वारीसान ग्यारसीलाल, नारायणदास, कन्हैयालाल, विष्णु सभी 1/4–1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार हो गये। तथा ग्यारसीलाल, नारायणदास, कन्हैयालाल व विष्णु के फोत होने पर उनके वारीसान उनके हक हिस्से के अनुसार खातेदार काश्तकार हो गये। और उन्ही के हिस्से के अनुसार विवादित भूमियो में संयुक्त रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। विवादित भूमियो को आज दिवस तक संयुक्त ही चली आ रही है, जिसका आज दिवस तक कोई बॉई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन नही हुआ है, जिसकी वहज से आये दिन वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 19 के मध्य विवाद होते रहते है। पिछले कई सालो से जमीन जायदादो की कीमतो में बढोतरी होने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 व 10 की नियत खराब हो गई है, जिसके कारण से वादीगण के हक हिस्से की आराजियात में आने जाने कब्जा करने, रास्ता बंद करने तथा बिना बंटवारा करवाये आराजियात को किसी तरह से बेचान या हस्तांरित करने का कोई अधिकार नही है। तथा उक्त प्रतिवादीगण ने अपने वास्तविक हिस्से से भी अधिक हिस्सा दर्शाते हुये उसे प्रतिवादी संख्या 10 को जरिये इकरारनामा दिनांक 02.01.2017 के द्वारा विक्रय करने का इकरार दिया है। तथा शीघ्र ही बेचान करने पर उतारू है। इस बदनियती से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व 10 दिनांक 23.01.2017 को वादग्रस्त आराजियात पर आये और वादीगण को जबरन बेदखल करने की कोशिश करने लगे इस पर वादीगण के भारी विरोध के कारण इसमें सफल नही हो सके। किन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 व 10 ने वादीगण को हिस्सा व अलग से रास्ता देने से इन्कार कर दिया तथा धमकाने लग गये इसलिये इस वाद की आवश्यकता उत्पन्न हुई। प्रतिवादी संख्या 20 से 61 भी उपरोक्त आराजियात में सहखातेदार होने से पक्षकार मुकदमा बनाया है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि विवादित भूमियो के बंटवारे की डिक्री पारीत कि जाकर उक्त विवादित भूमियो का बॉई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जाकर मौके पर हिस्से में आई भूमि का कब्जा दिलाया जावे तथा राजस्व रेकार्ड में सम्पूर्ण विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जावे कि वादीगण के हक हिस्से से उन्हें बेदखल नही करे तथा उनके कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में बाधा उपस्थित नही करे तथा बिना बंटवारा कराये विवादित भूमियो का बेचान हस्तांतरण आदि नही करे तथा किसी भी प्रकार का निर्माण आदि नही करे तथा खर्चा वाद दिलाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2, 19, 22, 25 से 30 32 व 45 बावजूद सम्मन उपस्थित नही होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 13 ने जवाब नोटिस पेश कर वादीगण के वाद में वर्णित हिस्सो को स्वीकार किया तथा मौके पर अपने अपने हिस्से पर कई वर्षो से काबिज चले आ रहे है, किन्तु हमें नाजायज परेशान करने के लिये झूंठा मुकदमा किया गया है। अतः दावा खारीज किया जावे।

..................लगातार

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

Scanned by CamScanner

मजमें आम में उपस्थित पक्षकारान को सुना गया जिन्होने बंटवारे की प्रांरभिक डिक्री पारीत किये जाने का निवेदन किया। मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी संवत 2069 से 2072 के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 61 की संयुक्त खातेदारी में हिस्सेनुसार दर्ज होना पाया गया। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजी साक्ष्य व विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर मौजा मालपुरा पटवार हल्का मालपुरा तहसील ब्यावर जिला–अजमेर खसरा नंबर 87 रकबा 00–06–00 किस्म बा.3, 88 रकबा 03–11–00 किस्म बा.3, खसरा नंबर 89/1 रकबा 03–07–10 किस्म बा.3, खसरा नंबर 90/1 रकबा 00–16–00 किस्म बा.3, खसरा नंबर 92/1 रकबा 00–14–00 किस्म बा. 3, खसरा नंबर 94 रकबा 00–10–10 किस्म बा.3, खसरा नंबर 122 रकबा 00–03–00 में वर्तमान जमाबंदी मे जो वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 61 के नाम दर्ज चले आ रहे हिस्सो के अनुसार बॉई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जाकर वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 61 के हिस्सेनुसार पृथक पृथक खाते एंव कब्जा कायम किये जाने के आदेश पारीत किये जाते है तथा प्रत्येक हिस्सेदार के हक में आई भूमि में आने जाने हेतू रास्ते का प्रावधान आवश्यक रूप से प्रस्तावित करे तथा नक्शा ट्रेस में अलग अलग रंग से दर्शित करते हुये तथा किसी पक्षकार द्वारा अपना हिस्सा विक्रय किये जाने की स्थिति में क्रेता का नाम अंकित करते हुये तथा किसी पक्षकार की मृत्यु होने की दशा में उसके विधिक वारीसान की जांच कर वारीसान के नाम अंकित करते हुये बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तावित किये जाने के आदेश तहसीलदार ब्यावर को दिये जाते है। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 61 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जाता है, कि जब तक विधिवत रूप से विभाजन नही हो जावे तब तक बेचान हस्तातंरण संबंधी कार्यवाही नही करे तथा वादीगण के कब्जे में बाधा उपत्पन्न नही करे तथा किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य आदि नही करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। यथानुसार प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2018 को मेरे द्वारा कोर्ट कैंप मालपुरा में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
आई०ए०एस०
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

प्रारंभिक डिगरी मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुकाम ब्यावर
व अजलाम पीयुष समारिया आई. ए. एस.
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)
राजस्व वाद संख्या 19/2017
राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – मालपुरा

1– श्रीमति संतोष वयस्क बैवा स्व0 श्री ईश्वर
2– श्री दिनेश उर्फ मनीष वयस्क पुत्र स्व0 श्री ईश्वर
3– श्री अनिल वयस्क पुत्र स्व0 श्री ईश्वर
4– श्री विमल वयस्क पुत्र स्व0 श्री ईश्वर
5– श्री जितेन्द्र उर्फ सेठी अवयस्क पुत्र स्व0 श्री ईश्वर नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता वादीया नंबर 1 श्रीमति संतोष
6– पूजा वयस्क पुत्री स्व0 ईश्वर

समस्त जाति बैरवा निवासी बैरवानगर मालपुरा विजयनगर रोड, ब्यावर जिला–अजमेर
----- वादीगण

ब नाम

1– श्री बंशीसिंह पुत्र स्व0 श्री ग्यारसीलाल उम्र 60 साल बैरवा
2– श्री मनोहरलाल पुत्र स्व0 श्री ग्यारसीलाल उम्र 53 साल बैरवा
3– श्री छोटूलाल पुत्र श्री ग्यारसीलाल उम्र 54 साल बैरवा
4– श्रीमति मूली वयस्क पुत्री ग्यारसीलाल बैरवा
5– श्रीमति मुन्नी वयस्क पुत्री स्व0 ग्यारसीलाल बैरवा
6– श्रीमति गुडी वयस्क पुत्री स्व0 ग्यारसीलाल बैरवा
7– श्रीमति सम्पत्ति वयस्क पुत्री स्व0 ग्यारसीलाल बैरवा
8– श्रीमति कमला वयस्क पुत्री स्व0 ग्यारसीलाल बैरवा
9– श्रीमति तुलसा वयस्क पुत्री स्व0 ग्यारसीलाल बैरवा
10– श्री चौथमल वयस्क पुत्र स्व0 श्री नारायण बैरवा
11– श्री तुलसीराम वयस्क पुत्र स्व0 श्री नारायण बैरवा
12– श्री गणेशदास वयस्क पुत्र स्व0 श्री नारायण बैरवा
13– श्री नौरतमल वयस्क पुत्र स्व0 श्री नारायण बैरवा
14– श्रीमति गीता वयस्क पुत्री स्व0 श्री नारायण बैरवा
15– श्रीमति गंगा वयस्क पुत्री स्व0 श्री नारायण बैरवा
16– श्री प्रभू वयस्क पुत्र स्व0 श्री विष्णु बैरवा
17– श्री पप्पू वयस्क पुत्र स्व0 श्री विष्णु बैरवा
18– श्रीमति लाली वयस्क बैवा स्व0 श्री विष्णु बैरवा
19– श्री सुखदेव वयस्क पुत्र स्व0 श्री काना उर्फ कन्हैयालाल बैरवा
20– श्री रूपचन्द वयस्क पुत्र श्री खीमा बैरवा
21– श्रीमति हीरा वयस्क पुत्री स्व0 खीमा बैरवा
22– श्रीमति नौरती वयस्क बैवा स्व0 रामरतन बैरवा
23– श्री प्रमोद वयस्क पुत्र स्व0 रामरतन जी बैरवा
24– श्री हरीश वयस्क पुत्र स्व0 रामरतन जी बैरवा
25– जसोदा अवयस्क पुत्री स्व0 रामरतन जी बैरवा
26– आशिया अवयस्क पुत्री स्व0 रामरतन जी बैरवा
26– नीरू अवयस्क पुत्री स्व0 रामरतन जी बैरवा
27– तुलसी अवयस्क पुत्री स्व0 रामरतन जी बैरवा

..................लगातार

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

28- बबली अवयस्क पुत्री स्व0 रामरतन जी बैरवा
29- अंजू अवयस्क पुत्री स्व0 रामरतन जी बैरवा
30- कविता अवयस्क पुत्री स्व0 स्व0 रामरतन जी बैरवा
प्रतिवादी संख्या 27 से 33 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता प्रतिवादीया नंबर 24 श्रीमति नौरती बैरवा
31- श्रीमति नर्बदा वयस्क बैवा स्व0 श्री बाबू बैरवा
32- श्री मुकेश वयस्क पुत्र स्व0 बाबू बैरवा
33- श्री भगवानदास वयस्क पुत्र स्व0 श्री बाबू बैरवा
34- सुमीत्रा वयस्क पुत्री स्व0 श्री बाबू बैरवा
35- हेमा वयस्क पुत्री स्व0 श्री बाबू बैरवा
36- लाछा वयस्क पुत्री स्व0 श्री बाबू बैरवा
37- गायत्री वयस्क पुत्री स्व0 श्री बाबू बैरवा
38- श्री जसवंत वयस्क पुत्र स्व0 श्री भैरू बैरवा
39- श्री यशवंत वयस्क पुत्र स्व0 श्री भैरू बैरवा
40- मालती वयस्क पुत्री स्व0 भैरू बैरवा
41- प्रियंका नाबालिग पुत्री स्व0 श्री भैरू जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमति तुलसीदेवी बैरवा
42- श्रीमति तुलसीदेवी वयस्क बैवा स्व0 श्री भैरू जी बैरवा
43- श्री रोडसिंह वयस्क पुत्र स्व0 श्री जेतसिंह मेहरात
44- सीता वयस्क पुत्री स्व0 श्री जेतसिंह मेहरात
45- जमना वयस्क पुत्री स्व0 श्री जेतसिंह मेहरात
46- प्रेम वयस्क पुत्री स्व0 जेतसिंह जाति मेहरात
47- श्रीमति चम्पा वयस्क बैवा स्व0 श्री जेतसिंह मेहरात
48- श्री भंवरू वयस्क पुत्र स्व0 श्री मोती मेहरात
49- श्री बाबू वयस्क पुत्र स्व0 श्री मोती मेहरात
50- अमरूद वयस्क पुत्री स्व0 श्री मोती मेहरात
51- धापू वयस्क पुत्री स्व0 मोती मेहरात
52- फेफी वयस्क पुत्री स्व0 मोती मेहरात
53- श्री भंवरू वयस्क पुत्री स्व0 मकना मेहरात
54- श्री गिरधारी वयस्क पुत्र स्व0 मकना मेहरात
55- श्रीमति लाडी वयस्क बैवा स्व0 मकना मेहरात
56- बदामी वयस्क पुत्री स्व0 मकना मेहरात
57- रूकमा वयस्क पुत्री स्व0 मकना मेहरात
58- श्री कालू वयस्क पुत्री स्व0 रसूल मेहरात
59- श्री रवि वयस्क पुत्र श्री रसूल मेहरात
60- श्री घीसा वयस्क पुत्र श्री कला मेहरात
समस्त निवासी बैरवानगर मालपुरा बिजयनगर रोड, ब्यावर जिला-अजमेर राज0
61- श्री प्रकाशचन्द रांका वयस्क पुत्र सोहनलाल रांका जाति जैन निवासी विनोदनगर, ब्यावर जिला-अजमेर राज0
62- राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, ब्यावर
63- श्रीमान् उपपंजीयक महोदय तहसील कार्यालय, ब्यावर
64- राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय, अजमेर

-----------प्रतिवादीगण

..................लगातार

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

Scanned by CamScanner

प्रारंभिक डिगरी मुकदमा इस्तदाई
श्रीमती संतोष व अन्य बनाम श्री बंशीलाल व अन्य
राजस्व वादपत्र संख्या 19/2017
अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – मालपुरा

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार–2018"

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादी – श्री ओ0पी0बारोलिया
अधिवक्ता प्रतिवादीगण – –
अधिवक्ता प्रतिवादी सं.62से63– पेरोकार सरकार तहसीलदार ब्यावर
मुकदमा राजस्व वाद नम्बर :– 19/2017
निर्णय/डिक्री दिनांक :– 07.05.2018

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मालपुरा में पेश हुआ। वादी तथा प्रतिवादीगण एंव पेरोकार सरकार उपस्थित। मज़में आम में मौजूद पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 07.05.2018 को पीयुष समारिया (आई.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष लोक अदालत शिविर/कैम्प कोर्ट मालपुरा में अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

मज़में आम में रूबरू मोतबिरान पूछताछ एवं राजस्व रेकार्ड अनुसार वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर मौजा मालपुरा पटवार हल्का मालपुरा तहसील ब्यावर जिला–अजमेर खसरा नंबर 87 रकबा 00–06–00 किस्म बा.3, 88 रकबा 03–11–00 किस्म बा.3, खसरा नंबर 89/1 रकबा 03–07–10 किस्म बा.3, खसरा नंबर 90/1 रकबा 00–16–00 किस्म बा.3, खसरा नंबर 92/1 रकबा 00–14–00 किस्म बा.3, खसरा नंबर 94 रकबा 00–10–10 किस्म बा.3, खसरा नंबर 122 रकबा 00–03–00 में वर्तमान जमाबंदी मे जो वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 61 के नाम दर्ज चले आ रहे हिस्सो के अनुसार बॉई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जाकर वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 61 के हिस्सेनुसार पृथक पृथक खाते एंव कब्जा कायम किये जाने के आदेश पारीत किये जाते है तथा प्रत्येक हिस्सेदार के हक में आई भूमि में आने जाने हेतू रास्ते का प्रावधान आवश्यक रूप से प्रस्तावित करे तथा नक्शा ट्रेस में अलग अलग रंग से दर्शित करते हुये तथा किसी पक्षकार द्वारा अपना हिस्सा विक्रय किये जाने की स्थिति में क्रेता का नाम अंकित करते हुये तथा किसी पक्षकार की मृत्यु होने की दशा में उसके विधिक वारीसान की जांच कर वारीसान के नाम अंकित करते हुये बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तावित किये जाने के आदेश तहसीलदार ब्यावर को दिये जाते है। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 61 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जाता है, कि जब तक विधिवत रूप से विभाजन नही हो जावे तब तक बेचान हस्तातंरण संबंधी कार्यवाही नही करे तथा वादीगण के कब्जे में बाधा उपत्पन्न नही करे तथा किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य आदि नही करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

आज तारीख 07.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर से जारी की गई।

(पीयुष समारिया)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

(पीयुष समारिया / उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर / ब्यावर)

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

(पीयुष समारिया)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

(पीयुष समारिया / उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर / ब्यावर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Jasmeet Singh Sandhu
Date: 2019.12.02 14:44:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: